बिहार सरकार

पर्यटन विभाग

संकल्प

विषयः— काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, वाराणसी की तर्ज पर विष्णुपद मंदिर, गयाजी मंदिर क्षेत्र के समग्र विकास हेतु मुख्य परामर्शी (Principal Consultant) के रूप में एच. सी. पी. डिजाईन प्लानिंग एण्ड मैनेजमेंट Pvt. Ltd., अहमदाबाद का मनोनयन के आधार पर चयन एवं इस कार्य हेतु होने वाले व्यय के वहन की स्वीकृति के संबंध में।

गयाजी जिलान्तर्गत विष्णुपद मंदिर ऐतिहासिक, पौराणिक एवं धार्मिक दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल है। पितृपक्ष मेला के अवसर पर लाखों की संख्या में देशी एवं विदेशी पर्यटकों का आगमन होता है। इस परिक्षेत्र का समग्र विकास राज्य में पर्यटकों के अधिकाधिक संख्या में मेला अवधि के दौरान ही नहीं बल्कि पूरे वर्ष के दौरान भ्रमण हेतु आकर्षण का केन्द्र बन सकता है। भारत सरकार के केन्द्रीय बजट 2024—25 में बिहार के गयाजी स्थित विष्णुपद मंदिर का बहुत अधिक आध्यात्मिक महत्व को ध्यान में रखते हुए विश्वस्तरीय तीर्थ स्थल और पर्यटन गंतव्य के रूप में विकसित करने हेतु इस स्थल को काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर के अनुरूप समग्र रूप से विकसित करने की घोषणा की गयी है।

2. गयाजी के समग्र विकास हेतु निविदा के माध्यम से कन्सल्टेंट एजेंसी मेसर्स आई.पी.ई. ग्लोबल का चयन किया गया है। मेसर्स आई.पी.ई. ग्लोबल द्वारा तैयार बेस लाइन सर्वे के अवलोकन से ज्ञात होता है कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, वाराणसी के तर्ज पर विष्णुपद मंदिर, गयाजी के समग्र विकास हेतु इस कार्य के लिये एक अलग से मुख्य परामर्शी चयन की आवश्यकता है। अधिकारिक रूप से उपलब्ध सूचना के अनुसार काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के मुख्य परामर्शी (Principal Consultant) के रूप में मेसर्स एच. सी. पी. डिजाईन प्लानिंग एण्ड मैनेजमेंट प्रा०लि०, अहमदाबाद द्वारा कार्य किया गया है।

3. उक्त के आलोक में विष्णुपद मंदिर, गयाजी मंदिर क्षेत्र के समग्र विकास हेतु मेसर्स एच. सी. पी. डिजाईन प्लानिंग एण्ड मैनेजमेंट Pvt. Ltd. एवं पर्यटन विभाग के बीच संबंधित कार्यों के बारे में दिनांक — 15.09.2025 को विडियो कॉफ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा की गयी तथा इनसे प्रस्ताव समर्पित करने हेतु कहा गया। संबंधित कार्य हेतु मेसर्स एच. सी. पी. डिजाईन प्लानिंग एण्ड मैनेजमेंट Pvt. Ltd. द्वारा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के तर्ज पर ही परामर्शी शुल्क पर दिनांक — 15.09.2025 को ई—मेल के माध्यम से सहमति दी गयी है। दिनांक 15.09.2025 की बैठक में उक्त एजेंसी को काशी विश्वनाथ विशिष्ट क्षेत्र विकास परिषद् के विकास हेतु किये गये कार्यों के समरूप शर्तों पर विष्णुपद मंदिर, गयाजी मंदिर क्षेत्र के समग्र विकास हेतु मुख्य परामर्शी के रूप में चयनित करने की अनुशंसा की गयी है।

4. उक्त परामर्शी एजेंसी को काशी विश्वनाथ विशिष्ट क्षेत्र के कॉरिडोर के विकास के संबंध में Detailed Master Plan एवं Concept Design हेतु 95,00,000/— (पन्चानबे लाख) रूपये तथा Comprehensive Detailed & Periodic Supervision of Workmanship हेतु परियोजना लागत का 3.25 प्रतिशत के शुल्क पर कार्य आवंटित हुआ था। साथ ही Development Support के रूप में Manpower का मासिक दर निर्धारित था, परन्तु यह आवश्यक होने पर एवं सेवा प्राप्तकर्ता द्वारा माँगे जाने पर ही लागू होगा। प्रस्तावित

योजना के लिए Scope of Work काशी विश्वनाथ विशिष्ट क्षेत्र के विकास के समान होगा, जिसमें Project Management Consultancy (PMC) शामिल नहीं है तथा समरूप शर्तों पर ही एकरारनामा किया जायेगा। Project Management Consultancy (PMC) के अवयव पर अलग से निर्णय लिया जायेगा।

5. इस कार्य पर होने वाले व्यय का वहन पर्यटन विभाग द्वारा राज्य योजना स्कीम अंतर्गत मुख्य शीर्ष– 3452 पर्यटन, उप मुख्य शीर्ष– 80–सामान्य, लघु शीर्ष– 104–संवर्द्धन तथा प्रचार, उप शीर्ष– 0103–पर्यटकीय विकास एवं विपत्र कोड–46–3452801040103, विषय शीर्ष– 2803 कन्सल्टेंसी मद् में राज्य योजना स्कीम के अन्तर्गत किया जायेगा।

6. योजना का कार्यान्वयन पर्यटन विभाग द्वारा बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम के माध्यम से कराया जाएगा।

7. **काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, वाराणसी की तर्ज पर विष्णुपद मंदिर, गयाजी मंदिर क्षेत्र के समग्र विकास हेतु मुख्य परामर्शी (Principal Consultant) के रूप में एच. सी. पी. डिजाईन प्लानिंग एण्ड मैनेजमेंट Pvt. Ltd., अहमदाबाद का मनोनयन के आधार पर चयन एवं इस कार्य हेतु होने वाले व्यय के वहन की स्वीकृति के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की दिनांक 03.10.2025 को सम्पन्न बैठक में मद् संख्या–34 के रूप में स्वीकृति प्रदान की गयी है।**

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित कर इसकी प्रतिलिपि सरकार के सभी विभागों एवं महालेखाकार, पटना को सूचनार्थ भेजी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/–
सरकार के सचिव,
पर्यटन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– पर्य०यो०रा०– 59/2025 ..../प०वि०, पटना दिनांकः–...........
प्रतिलिपिः–माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव, बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी/विकास आयुक्त, बिहार के प्रधान आप्त सचिव/स्थानिक आयुक्त कार्यालय, बिहार भवन, नई दिल्ली को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/–
सरकार के सचिव,
पर्यटन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– पर्य०यो०रा०– 59/2025 2904 /प०वि०, पटना दिनांकः– 04-10-25
प्रतिलिपिः–महालेखाकार, बिहार, पटना/सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष/सभी जिला पदाधिकारी/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लि०/निदेशक, पर्यटन निदेशालय/एच. सी. पी. डिजाईन प्लानिंग एण्ड मैनेजमेंट Pvt. Ltd., अहमदाबाद/अवर सचिव, ई–गजट कोषांग/आई० टी० मैनेजर, पर्यटन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव,
पर्यटन विभाग, बिहार, पटना।
04/10/25